संख्या-126/2015/1226/71-1-2015-जी-234/2007

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 जुलाई, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, बांदा के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 13-03-2008 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 25543.07 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-164/71-1-2009-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 22-04-2009 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। लागत दरें पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 25-01-2009 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 40388.87 लाख पुनरीक्षित की गयी थी एवं तद्नुरूप शासनादेश दिनॉक 28-02-2010 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इस प्रकार पुनरीक्षित लागत रू0 40388.87 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 35400.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/100, दिनॉक 27-05-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, बांदा के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 19,69,75,000/- (रू0 उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए तथा इसी समिति की देख-रेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराया जाय।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाय तथा आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समिति की संस्तुतियॉ भी उपलब्ध करायी जाए।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को कराए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में प्राप्त सामग्री का उपभोग/निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव की लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने हेतु महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि मानक मद "24-वृहद निर्माण कार्य" से स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

9- स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप् पर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-21-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:-126/2015/1226(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बांदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज बांदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।